भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3880

24.03.2025 को उत्तर के लिए

पवित्र उपवन फॉरेस्ट

3880. श्री राव राजेन्द्र सिंह :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में मौजूद पवित्र उपवन फॉरेस्ट के बारे में कोई जानकारी है और क्या इसे निर्धारित करने के लिए कोई मानदंड हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा विभिन्न स्थानीय समुदायों द्वारा वन पूजन के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) ऐसे समुदायों को औपचारिक बनाने और ऐसे क्षेत्रों को विभिन्न जैव-विविधता संबंधी कानूनों के दायरे में लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा राजस्थान में ओरणों के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ङ): वन्यजीव और उनके पर्यावास का प्रबंधन प्रमुख रूप से संबंधित राज्य की जिम्मेदारी है। पवित्र उपवन सामान्यत: वृक्षों के छोटे समूह होते हैं, जो स्थानीय समुदायों द्वारा उनके धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व के कारण पारंपरिक रूप से संरक्षित किए जाते हैं और स्थानीय जैव-विविधता संरक्षण में भी उनका योगदान रहता है। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत राज्य सरकार को किसी निजी या सामुदायिक भूमि को जीव-जन्तुओं, वनस्पतियों तथा पारंपरिक सांस्कृतिक संरक्षण मूल्यों एवं प्रथाओं के संरक्षण के लिए सामुदायिक रिजर्व के रूप में घोषित करने के लिए सशक्त बनाया गया है। इसके अलावा, राज्य जैव-विविधता अधिनियम, 2002 के तहत ऐसे क्षेत्रों को जैव-विविधता विरासत स्थलों के रूप में भी घोषित करते हैं। सामुदायिक रिजर्व के संरक्षण और प्रबंधन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत की गई वार्षिक संचालन योजना के आधार पर मंत्रालय द्वारा संबद्ध राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय प्रायोजित स्कीम 'वन्यजीव पर्यावासों का विकास' के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

*****